न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2023 ::

उनवान सम्पति देवी बनाम राजस्थान सरकार

सम्पति पत्नि महेन्द्रकुमार उम्र बालिग जाति खटीक निवासी ग्राम कालातालाब तहसील अरांई जिला अजमेर राज.। – प्रार्थी

बनाम

भू– धारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई अजमेर राजस्थान। –अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

निर्णय दिनांक 25.01.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर क्रमांक 54/2023 पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई तहसील अंराई जिला अजमेर (राज.) मे स्थित है जिसके खसरा संख्या 2815 रकबा 0.4126 हैक्टैयर है, उक्त कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमि पर जोत हेतु आने जाने बाबत रेकार्डेड रास्ता उपलब्ध नही है इस कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि काश्त करने हेतु, निराई गुडाई करने जाने, कृषि यंत्र लाने ले में काफी बाधा, रूकावट, व्यवधान होता है। प्रार्थी कृर्षि की उपज भी लाने ले जाने में आये दिन परेशान होना पडता है इस कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर काश्त करने हेतु रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता होने से यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि के लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की ग्राम अरांई स्थित सरकारी भूमि खसरा संख्या 2816 रकबा 3.0014 हैक्टैयर है जो प्रार्थी के खेत [illegible] से अपनी कृषि भूमि पर आता जाता रहा है। लेकिन उपरोक्त खसरा संख्या [illegible] नहीं होने के कारण आये दिन प्रार्थी को परेशानी ,व्यवधान, [illegible] है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार [illegible] कृषिकीय कार्य हेतु आने जाने के लिये विद्यमान रेकार्डेड रास्ता नहीं होने पर व कानूनन श्रीमान के समक्ष आवेदन कर रेकार्डेड रास्ता की मांग कर सकता है। उपरोक्त खसरा संख्या [illegible]16 रकबा 3.0014 हैक्टेयर सरकारी भूमि में से नियमानुसार 30 फीट चौडा रेकार्डेड रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध पारित किया जावें, साथ ही आदेश के पश्चात् राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में उपरोक्त रास्ते की अमल दरामद किये जाने आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

...ंक 01.09.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुये तथा तहसीलदार ...ई को मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार अरांई को तहरीर जारी की गई। दिनांक 27.10.2023 ... तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें तहसीलदार अराई द्वारा जाहिर किया कि ...र्तमान सेग्रीकेशन जमाबन्दी के अनुसार ग्राम अरांई में खसरा संख्या 2815 स्थित है जो भूमि ...प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी के खसरे तक आवागमन के लिये खसरा संख्या 2816 के अतिरिक्त कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी सिवायचक खसरा संख्या 2816 से संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी से होकर आ जा रहा है। ग्राम अराई की उक्त भूमि सरकारी भूमि है। तथा प्रार्थी को अपनी जोत खसरा संख्या 2815 में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये रास्ता संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार दिया जावेगा, जो निकटतम है। प्रस्तावित 30 फीट रास्ते हेतु रकबा 0.0270 हैक्टैयर बनता है जिसका मूल्य वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार मूल्य 13764/– अक्षरे तेरह हजार सात सौ चौसठ रूपये बनता है।

हमारे द्वारा तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा पुनः रिपोर्ट हेतु तहसीलदार अरांई को तहरीर जारी की गई ताकि प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते खसरा संख्या 2816 से लगायत सरकारी रास्ता खसरा संख्या 3970/2815 की मौका रिपोर्ट आ सके। दिनांक 05.01.2024 को तहसीलदार अरांई द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसमें तहसीलदार अरांई द्वारा जाहिर किया गया कि ग्राम अरांई के खसरा संख्या 2815 में कृषि कार्य हेतु आवगमन के लिये खसरा संख्या 2816 के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, सरकारी रास्ता खसरा संख्या 3970/2815 की चौडाई 40 फीट है जो 06 गठ्ठे बनती है। यदि खसरा संख्या 2816 से संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक रास्ता दिया जाता है तो प्रस्तावित 30 फीट रास्ते हेतु रकबा 0.0270 हैक्टैयर बनता है जिसका मूल्य वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार मूल्य 13764/– अक्षरे तेरह हजार सात सौ चौसठ रूपये बनता है।

दिनांक 23.01.2024 को प्रार्थीया की बहस सुनी गई जिसमें प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा प्रार्थीया की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थीया की बहस तथा तहसीलदार अरांई की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि.1955 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि वे रास्ते हेतु अधिगृहित की जाने वाली भूमि की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर के दुगुने का प्रतिकर राशि 27529/– अक्षरे सत्ताईस हजार पांच सौ उनतीस रू. मात्र, प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डी.डी. तहसीलदार अरांई के नाम प्रस्तुत करने के पश्चात् मौका रिपोर्ट 27.10.2023 के अनुसार ग्राम अरांई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 2815 में आवागमन के लिये ग्राम अरांई स्थित भूमि खसरा संख्या 2816 रकबा 3.0014 हैक्टेयर में से 30 फीट चौडे रास्ते अनुरूप 0.0270 हैक्टैयर भूमि अधिग्रहित कर अधिग्रहित भूमि की 30 फीट चौडे रास्ते हेतु संलग्न नजरी नक्शानुसार तरमीम करे तथा अधिग्रहित भूमि के नवीन खसरा संख्या बनाते हुये भूमि को उसी खाते में पूर्व की भांति रखकर किस्म गै.मु. रास्ता सिवायचक दर्ज करे। तहसीलदार ... अन्तिम निर्णय का भाग रहेगी।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.01.2024 को ... में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर ... हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.05.27 18:22:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

अरांई (अजमेर)